

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है: जुहा शर्मा डी.बी.एल. वतन भाति नं: उप-प्रबंध (ले.सी.)
 3. कतमान वेतन: 7100 + DA अगला वेतन चूक का तारीख: 1-7-10

जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा ब्यौटा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतनाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, इंधक, किराया, भेंट या अन्य किस प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्यौटा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिद्युक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भू-जमीन					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
जयपुर	-	12004 ग 3-60 कुल (बलाक) NTF	M/A	M/A	स्वयं उत्तर-उप डी.बी.एल. डी.बी.एल. मोडकला सं-7-22P डी.बी.एल. गण्डा जयपुर जिला सं- (डी.बी.एल.)	M/A -	
गण्डा गारागांव जिला हरियाणा	-	7-34 हथवा (डी.बी.एल.) (लकमगांव)	M/A	M/A	1-25 लाक		

- जहां लान न हो कट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां कतमान लिखित के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें कल्पकालीन चूकें भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों (आवरण) नियम, 1959 के नियम 12(3) के अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रारंभिक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने को अवधि के परचम यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उनके द्वारा अर्जित जयवा इसे विरलत में मिली या उनके अपने नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर चूकें या कर्जा उनके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौटे दें।

हस्ताक्षर: [Signature]
 नाम: डी. बी. शर्मा
 पद: उप-प्रबंध (ले.सी.)